परिशिष्ट - ग - 8

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
:: संकल्प ::

विषय : राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय सहित) में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली को लागू करने और कार्यालय अवधि में परिवर्तन की स्वीकृति।

झारखण्ड राज्य में कार्मिक, प्र.सु. तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या- 07/भा०स०प०-17-04/2006 का० 6981 दिनांक 26 दिसम्बर, 2006 द्वारा पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू किया गया था। सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर किये गये समीक्षा के दौरान सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू पाँच दिवसीय कार्य प्रणाली को जनता के अनुकूल नहीं पाया गया। इसलिए विभिन्न स्तरों पर राज्य के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था।

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस राज्य में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू होने से पूर्व की स्थिति को पुनः बहाल कर दी जाय।

2. अतः पूर्व के प्रासंगिक संकल्प को अवक्रमित करते हुए सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :-

(1) इस राज्य के सभी सरकारी विभागों/कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय सहित) में छः दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करते हुए रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा।

(2) कार्यालय अवधि 10:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न तक रहेगा।
(नवम्बर से फरवरी तक 10:30 बजे से 5:00 अपराह्न तक)

(3) मध्याह्न विश्रांतिकाल 1:30 बजे से 3:00 बजे अपराह्न के मध्य आधे घंटे का होगा।

(4) एक कैलेण्डर वर्ष में आकस्मिक अवकाश की संख्या 12 दिन से बढ़कार 16 दिन की जाती है।

(5) उपर्युक्त व्यवस्था 1 मार्च, 2008 से प्रभावी होगी।

Scanned by CamScanner

3. जहाँ तक राज्यपाल सचिवालय/उच्च न्यायालय/झारखण्ड विधान सभा में उक्त प्रणाली को अपनाये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, राँची/माननीय अध्यक्ष झारखण्ड विधान-सभा की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा अपेक्षानुसार आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला उपायुक्त को भेजी जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-
(आर.एस.शर्मा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 7/भा.स.प.-17-04/2006 का० 920/राँची, दिनांक - 18 फरवरी, 2008
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के प्रधान सचिव।

Scanned by CamScanner